

ई-नीलामी विप्री सूचना

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ई-नीलामी विप्री सूचना

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 (2002 का 54) की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण के तहत रहन अचल संपत्तियों की बिक्री

चूंकि, एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न ऋण खाते में प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण की धारा 13 (2) के तहत जारी सूचना की अनुवर्ती में निर्दिष्ट निम्न संपत्तियों का बैंक की बकाया राशि साथ में यह वर्षांत अनुसार ब्याज की वसूली हेतु "जैसे है जहां है, जैसे है जो है, जो भी वहां है एवं बिना रिकॉम आधार पर" उसे बेचने के अधिकार सहित करवा ले लिया है एवं चूंकि बकाया राशि की अदायगी ना करने के परिणाम स्वरूप अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि वसूलने की प्रस्ताव रखा है। निम्न न्यायपीठ मंडी द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.09.2016 अनुसार अनुवर्ती में यह निर्दिष्ट संपत्तियों का भौतिक करवा 22.09.2016 को ले लिया था। बिक्री भौतिक नीलामी द्वारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

अचल संपत्तियों का विवरण

शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के गारंटर्स एवं रुकनकारों का नाम	मांग सूचना अनुसार राशि मांग सूचना तिथि	संपत्ति विवरण	आवृत्ति कीमत	निरीक्षण तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	ईएमडी प्रति हेतु अंतिम तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नं./ ई-मेल आईडी
				ईएमडी बोली बुद्धि राशि				
एचडीएफसी बैंक लि. मिलनटॉर्ज, जी.टी. रोड, लुधियाना मेसर्स शिवांश आटोमोबाइल प्रा. लि.	रहनकार : श्री एस पी गौतम, गारंटर्स : 1. श्री एस पी गौतम 2. श्री सिद्धार्थ गौतम	<u>3,07,23,947.39 रु.</u> दिनांक : 12.04.2016 कैश क्रेडिट ऋण खाते के तहत पूर्ण एवं अंतिम अदायगी की तिथि तक लागू एवं खर्चों सहित 01.4.2016 से मासिक शेष सहित 18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित 31.03.2016 को देय	1) मौजा बगला मुहल चहल एच.बी.स. 207, तहसील बाध, जिला मंडी (हि.प्र.) पर स्थित 209/969 हिस्सा माप 00-10-09 बीघा के विस्तार तक पुराने खसरा स.	4,50,00,000/-रु. 45,00,000/-रु. 1,00,000/-रु.	28.04.2017 को दोप. 12:00 बजे से अप. 2.00 बजे	08.05.2017 को पूर्वा. 10:30 बजे से पूर्वा. 11.30 बजे	05.05.2017 को अप. 4.00 बजे तक	श्री मधुर शर्मा 9356070006 ई-मेल : madhur.sharma@hdfcbank.com

1102/935/312, नया खसरा स. 1145/1102/935/312, 1146/1102/935/312, 1147/1102/935/312, 1148/1102, 935/312, किता 4, माप 02-08-09 बीघा के खाता स. 154/149, खतीनी स. 192/198 की कार्मशियल संपत्ति।

2. मौजा बगला मुहल चहल एच.बी.स. 207, तहसील बाध, जिला मंडी (हि.प्र.) पर स्थित 760/969 हिस्सा माप 01-18-00 बीघा के विस्तार तक पुराने खसरा स. 1102/935/312, नया खसरा स. 1145/1102/935/312, 1146/1102/935/312, 1147/1102/935/312, 1148/1102/935/312, किता 4, माप 02.08.09 बीघा के खाता स. 154/149, खतीनी स. 192/198, की कार्मशियल संपत्ति।

नियम एवं शर्तें : (1) ई-नीलामी "जैसे है जहां है, जैसे है जो है, जो भी वहां है एवं बिना रिकॉम के आधार पर की जाएगी। (2) इच्छुक बोलीकार लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल : <https://www.bankeauctions.com> के माध्यम से अपना ईएमडी विवरण एवं दस्तावेज जमा करायेंगे (युजर आईडी एवं पासवर्ड : <https://www.bankeauctions.com> के साथ नाम पंजीकरण करा कर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं) ईएमडी उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट तिथि को अप. 4.00 बजे तक या उसे पहले एचडीएफसी बैंक लि. खाता स. 024009300000063 के पक्ष में प्रतिभूति डिमॉड ड्राफ्ट के माध्यम से या निम्न खाता 024009300000063, खाते का नाम : फंडस टू बी क्वीयरड-डॉक सर्व, लाभाधी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की जाएगी। कृपया नोट करें कि बैंक ईएमडी राशि के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। (3) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार, सम्पत्ति पर कोई भी अण्कार देय जैसे कि सम्पत्ति कर, सोसायटी ड्यूज इत्यादि नहीं है। तथापि बैंक किसी भी बकाया सखीयक देय/अण्कार/कर एण्कार, यदि कोई है हेतु जिम्मेवार नहीं होगा। इच्छुक बोलीकार अण्कार, सम्पत्ति के ट्राईअल के सम्पन्न में अपनी स्वतन्त्रतापूर्वक जांच कर लें एवं स्वयं निरीक्षण कर लें एवं स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। सम्पत्ति का निरीक्षण उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर किया जा सकता है। (4) इच्छुक बोलीकार जिसमें ईएमडी जमा कराई है एवं लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने, अफिलेडिंग डाटा, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया इत्यादि पर प्रशिक्षण, इत्यादि में सहायक चाहिए, मेसर्स सी-1 इंडिया प्राई लि., प्लॉट नं. 301, गलफ पैट्री चेम भवन, उद्योग विहार, फेस-2, गुडगांव से सम्पर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नं. 0124-4302020/21/22/23/24 श्री पनरीय सिंह (मो.) 09646796075, हेल्प लाइन ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com एवं सम्पत्ति से सम्बंधित जांच हेतु कार्य दिवस (पूर्वा. 10 बजे से अप. 5.00 बजे) कार्यालय अर्थात् में उपरोक्त निर्दिष्टानुसार प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। (5) उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के विषय में होगी। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उक्तका निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। (6) (विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.hdfcbank.com एवं : www.bankeauctions.com पर जाएं)

सस्टेनसिबल अधिनियम, 2002, के नियम 8 (6) के तहत 15 दिन की सार्वजनिक बिक्री सूचना

ऋणकर्ता/गारंटरी को एतद्वारा अधिभूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले अनुषांगिक खर्च एवं अद्यतन तिथि तक ब्याज के साथ-साथ उपरोक्त निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर दें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी एवं शेष देय यदि कोई है को वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

दिनांक : 19.04.2017
स्थान : मंडी

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लि.

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत यहां नीचे दी गई अनुसूचि में विशेष तौर पर विवरणित अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी की नियम एवं शर्तें, ई-नीलामी सूचना जो दि ट्रिब्यून एवं अमर उजाला में 19 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित था।

बिक्री प्रतिभूमि ब्याज प्रवर्तन नियमों 2002 में विवरणित, शर्तों तथा निम्नलिखित अधिक शर्तों के तहत होगी।

1. ई-नीलामी “जैसे है जो है”, “जैसे है जहां है” आधार पर “वहां जो ही है एवं बिना स्रोत” पर बेचा जा रहा है।
2. सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी के बेहतर ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाता बोली जमा कराने से पूर्व ऋणभारों से सम्बंधी, नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों के टाइटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकार/बकाया के सम्बंध में स्वयं जांच करवा लें। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता को गठित नहीं करेगा और गठित करने के लिये माना नहीं जाएगा। यह सम्पत्ति बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी मौजूदा तथा भविष्यगत ऋणभारों के साथ बेची जा रही है। सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूमि ऋणदाता किसी भी तीसरी पार्टी के दावे/अधिकार/बकाया के लिये किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं होगा।
3. बोली जमा करवाने से पूर्व सम्पत्ति व विनिर्देशन के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवार बोलीदारों की होगी। नीलामी में रखी जाने वाली सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक बोलीदारों को प्रत्येक सम्पत्ति के प्रति निर्दिष्ट अनुसार स्थलों पर दी जाएगी।
4. इच्छुक बोलीदाता लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड के जरिये बैंक पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> द्वारा (यूजर आईडी व पासवर्ड <https://www.bankeauctions.com> पर नाम दर्ज करवा कर निशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं) अपने दस्तावेजों को जमा करेंगे। ईएमडी निम्नलिखित खाता : 02400930000063, खाते का नाम : फंड्स टूबी क्लीयर्ड-डॉक सर्व, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा या एचडीएफसी बैंक लि. खाता सं. 02400930000063 के पक्ष में बनाया गया डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 05.05.2017 को अप. 4.00 बजे या पहले देय होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस केवल इच्छुक बोलीदारों के खाते से की जाएगा तथा उस के विवरण बैंक पोर्टल में निर्दिष्ट किये जाएंगे। डीडी/पे ऑर्डर बोली में भाग लेने के पत्र सहित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर बनाया गया नई दिल्ली में देय एवं एचडीएफसी बैंक लि. के पक्ष में, 05.05.2017 को 16.00 बजे या पहले प्राधिकृत अधिकारी श्री मधुर शर्मा एचडीएफसी बैंक लि. विशेष संचालन विभाग, प्रथम तल, प्लॉट एवं शेड नम्बर बी-XV-168/1, मंजु सिनेमा के साथ, जी.टी. रोड, लुधियाना, पंजाब, के पास पहुंच जाना चाहिये।
5. बैंक पोर्टल में बोलीदार द्वारा पंजीकरण (एक बार) के बाद इच्छुक बोलीदार/खरीददार को बोली दस्ता. जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंक-पोर्टल में अपलोड किये गये निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना अपेक्षित/अनिवार्य है :- (i) सहभागियता पत्र के साथ एनईएफटी/आरटीजीएस चलान की प्रति या डिमांड ड्राफ्ट की प्रति (ii) पैन कार्ड की प्रति (iii) पहचान/पते के प्रमाण (केवाईसी की प्रति अर्थात वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाईसैंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड इत्यादि की प्रति, जिसके बगैर बोली को रद्द कर दिया जाएगा। विधिवत भरी हुई एवं हस्ताक्षर करने के बाद परिशिष्ट 2 एवं 3 (बैंक पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> से डाउनलोड किया जा सकता है) की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
6. इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में सहायता की आवश्यकता है वे मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., प्लॉट सं. 301, गल्फ पेट्रो केम. भवन, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव हेल्पलाइन सं.6. 0124-4302020/21/22/23/24, श्री पनदीप सिंह मोबाईल 6. 09646796075, हेल्प लाईन ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com से संपर्क करें तथा संपत्ति से संबंधित किसी पछताछ के लिये किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय (10.00 बजे से 5.00 बजे

6. इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में सहायता की आवश्यकता है वे मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., प्लॉट सं. 301, गल्फ पेट्रो केम. भवन, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव हेल्पलाईन सं. 6. 0124-4302020/21/22/23/24, श्री पनदीप सिंह मोबाईल 6. 09646796075, हेल्प लाईन ई-मेल आईडी support@bankeauc-tions.com से संपर्क करें तथा संपत्ति से संबंधित किसी पूछताछ के लिये किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय (10.00 बजे से 5.00 बजे तक) के दौरान संपर्क करें :- श्री मधुर शर्मा (प्राधिकृत अधिकारी), मोबाईल सं. 6. 9356070006, ईमेल आईडी madhur.sharma@hdfcbank.com
7. केवल खरीददार जिनके पास वैध यूजर आईडी/पासवर्ड होगा एवं एनईएफटी/आरटीजीएस की सुनिश्चित अदायगी होगी वही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य होंगे।
8. इच्छुक बोलीदाता को पंजीकरण प्रक्रिया (एक बार) पूरी करने एवं अपनी स्वयं की यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाने के बाद 5.5.2017 को अथवा उससे पहले अप. 4.00 बजे तक अपने बोली दस्तावेजों (ईएमडी आरक्षित कीमत के 10% से कम नहीं) एवं आवश्यक दस्तावेजों (बिन्दु सं. 5 पर निर्दिष्ट) को जमा कराना होगा, तभी वह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु योग्य होंगे, बशर्ते कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से नियम प्रमाणन (दस्तावेजों का) एवं/अथवा अनुमोदन हो।
9. बोलीदाताओं को एकबार उनके द्वारा ईएमडी जमा कराए जाने के बाद अपनी बोली वापस लेने कि स्वीकृति नहीं होगी। नीलामी में बोलीदाताओं की गैर भागीदारी होने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
10. ऑनलाइन अंतः बोली के दौरान, बोलीदाता “बोली संवृद्धि राशि” (उपरोक्त निर्दिष्ट) अनुसार अथवा इसके गुणक में अपनी बोली राशि में सुधार कर सकते हैं एवं अगर बोली ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों के दौरान करी जाती है, तब समापन समय स्वतः ही 5 मिनटों (ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन तक प्रत्येक बार) हेतु बढ़ जाएगी, अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। बोलीदाता जो, ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन पर सबसे उच्चतम बोली राशि (आरक्षित कीमत से कम नहीं) जमा कराता है, उसे आवश्यक प्रमाणन के पश्चात संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता द्वारा एक सफलबोलीदाता घोषित कर दिया जाएगा।
11. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री प्रक्रिया के एक भाग के रूप में रखी जाएगी एवं असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई भी ब्याज नहीं होगा। सफल बोलीदाता को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली कीमत की स्वीकृति के तुरंत पश्चात पहले भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करने के पश्चात बिक्री कीमत का 25% जमा कराना होगा एवं बिक्री कीमत का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन पर अथवा उससे पहले अथवा एसी विस्तारित अवधि में जो कि संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के विशेषाधिकार एवं लिखित में सहमत होगी में जमा करानी होगी। सफलबोलीदाता द्वारा अदायगी की चूक की स्थिति में पेशकर्ता द्वारा पहले से जमा राशि जब्त कर ली जाएगी एवं संपत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा एवं चूककर्ता ऋणकर्ता का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई भी दाव/अधिकार नहीं होगा।

12. प्रत्याशित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि से पहले मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि. से ई-नीलामी पर आनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ना ही संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और ना ही मैसर्स सी1 इंडिया प्रा.लि. किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या हेतु जिम्मेदार होगा एवं इच्छुक बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी इवेंट में भाग लेने हेतु पूर्णतः तकनीकी रूप से सूसज्जित है।
13. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी सबसे उच्चतम पेशकश को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी पेशकश को स्वीकार अथवा रद्द करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/स्थगन/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
14. बोलीदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले एवं ई-नीलामी में भाग लेने से पहले मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि. के वेबपोर्टल **<https://www.bankeauctions.com>** एवं **www.hdfcbank.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी की विस्तृत नियम एवं शर्तों का देख लें।
15. ऑनलाइन बोली के समय के दौरान क्रेडिटविटी के सम्बन्ध में किसी भी परिस्थिति हेतु एकमात्र बोलीकार की जिम्मेवारी होगी एवं इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक बोलीकार **<https://www.bankeauctions.com>** पर अपना नाम पंजीकृत कराएगा एवं निःशुल्क यूजन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करेगा। बोलीकार जो पेन के सत्यापन के पश्चात इस नीलामी हेतु सी 1 इंडिया प्राई.लि. द्वारा प्रावधानित वैध आईडी एवं पासवर्ड रखते हैं को उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
16. बोलीकार अपने हित में अन्तिम समय में बोली करने से बचें, ना ही एचडीएफसी बैंक लि. ना ही सेवा प्रदाता इस सम्भाव्य स्थिति में किसी भी त्रुटि/खराबी(इन्टरनेट असफलता/पावर असफलता इत्यादि) के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। बोलीकारों से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबन्ध/वैकल्पिक जैसे कि पावर सप्लाय बैक अप इत्यादि को सुनिश्चित कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से निपट सकें एवं नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
17. बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि पर एवं यदि अदायगी के नियमों का पालन किया गया है, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) संशोधित नियम, 2002 के परिशिष्ट V में दिए गए प्रपत्र में खरीददाता के पक्ष में अचल सम्पत्ति हेतु बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल खरीददाता/आवेदकों के नाम जारी किया जाएगा एवं किसी अन्य नाम में जारी नहीं किया जाएगा।
18. यदि बिक्री की कीमत 5000000 रु. (केवल पचास लाख रु.) से अधिक है, तब नीलामी खरीदार/सफल बोलीकार को सम्पत्ति के मालिक के नाम में बतौर टीडीएस बिक्री कीमत का 1% कर लिया जाएगा एवं इसे आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए अनुसार आयकर विभाग को भुगतान कराना होगा एवं बिक्री कीमत का केवल 99% बैंक को भुगतान किया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल टीडीएस के भुगतान हेतु चालान एवं प्रपत्र 26 क्यूबी की पॉवती पर जारी किया जाएगा।
19. खरीददार लागू स्टेम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टेम्प ड्यूटी/ट्रान्सफर प्रभार, शुल्क इत्यादि एवं सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देय, करों, निर्धारण प्रभार, शुल्क इत्यादि किसी भी अन्य का भी वहन करेगा।
20. बैंक द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र के जारी होने पर, बिक्री पूर्ण समझी जाएगी एवं बैंक द्वारा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
21. सम्पत्ति की बिक्री हेतु बैंक ने इस सूचना में कुछ भी गठित नहीं किया है या किसी भी प्रतिबद्धता या अभ्यावेदन को गठित करने वाला नहीं समझा जाएगा। बैंक बगैर कोई कारण बताए या उपयुक्ततानुसार किसी भी कारण बिक्री को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं ऐसी रद्दता के बारे में बोलीकार द्वारा कोई भी प्रश्न नहीं किया जाएगा।

21. सम्पत्ति की बिक्री हेतु बैंक ने इस सूचना में कुछ भी गठित नहीं किया है या किसी भी प्रतिबद्धता या अभ्यावेदन को गठित करने वाला नहीं समझा जाएगा। बैंक बगैर कोई कारण बताए या उपयुक्ततानुसार किसी भी कारण बिक्री को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं ऐसी रद्दता के बारे में बोलीकार द्वारा कोई भी प्रश्न नहीं किया जाएगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

1. मौजा बागला मुहल चलाह (Muhall Chalah), एचबी. सं. 207, तहसील बाठ (Bath) जिला मंडी (हि.प्र.) पर स्थित कमर्शियल सम्पत्ति खाता सं. 154/149, खतौनी सं. 192/198, पुरानी खसरा सं. 1102/935/312, नई खसरा सं. 1145/1102/935/312, 1146/1102/935/312, 1147/1102/935/312, 1148/1102/935/312, कित्ता 4, माप 02-08-09 बिघा के विस्तार का 209/969 हिस्सा माप 00-10-09 बिघा।
2. मौजा बागला मुहल चलाह (Muhall Chalah), एचबी. सं. 207, तहसील बाठ (Bath) जिला मंडी (हि.प्र.) पर स्थित कमर्शियल सम्पत्ति खाता सं. 154/149, खतौनी सं. 192/198, पुरानी खसरा सं. 1102/935/312, नई खसरा सं. 1145/1102/935/312, 1146/1102/935/312, 1147/1102/935/312, 1148/1102/935/312, कित्ता 4, माप 02-08-09 बिघा के विस्तार का 760/969 हिस्सा माप 01-18-00 बिघा।

दिनांक : 19/4/2017

स्थान : मंडी

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

हस/

प्राधिकृत अधिकारी

मधुर शर्मा